— 1 —

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/11/2026 दायर दिनांकः– 23.01.2026 रजि0 न0 2026/20

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री वेद राठोड़, निवासी–32, एन.डी.सदन देहली रोड, मुंगस्का अलवर (राज.)	लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 17.02.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 23.08.2025 के परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः सूचना दिलवायी जावे।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नही दिये जाने के संबंध मे प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 03.02.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के जवाब पत्र संख्या नविवि/आर0टी0आई0/2026/12632 दिनांक 02.02.2026 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया।
   प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 23.08.2025 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई बिन्दुवार सूचना प्रश्नात्मक हैं एवं इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं है। उक्त चाही गई सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ)(आई) के अन्तर्गत नये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना एवं नयी सूचना का सृजन करना संभव नही होने के कारण देय नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ)(आई) के अन्तर्गत देय नहीं है। अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उक्त चाही गई सूचना के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार से सूचित नहीं किया गया है इसलिए प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 17.02.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर अलवर (राज.)